

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(193)नविवि / 3 / 2009पार्ट-II

जयपुर, दिनांक :-

30 SEP 2014

सचिव,
नगर विकास ब्याज,
कोटा।

विषय :- मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2013 (संशोधित) के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार की सक्षमता वाले प्रकरणों में न्यास स्तर तक के सक्षमता तक भवन निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश बाबत।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्र. एफ.7 / एसटीपी / 14 / 911 दिनांक 05.05.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार की सक्षमता वाले भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों में न्यास स्तर तक देय ऊंचाई एवं एफ.ए.आर. की सीमा तक स्वीकृति न्यास स्तर पर जारी की जायें एवं न्यास स्तर की सक्षमता से अधिक सीमा हेतु प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायें।

भवदीय,

(जगजीत सिंह मोगा)

उप शासन सचिव-द्वितीय